तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 303/2022 अनवान** **वीरूमाली बनाम उप पंजीयक तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/12/22	**औदश**/ आदेश	

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा राजस्व आवेदन आदेश 39 नियम 2ए सपठत धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 12 अवमानना अधिनियम बाबत् अवमानना आदेश दिनांक 03.08.2022 की अवज्ञा या भंग करने की कार्यवाही का आवेदन पत्र का प्रस्तुत किया, जिसमे अंकित किया कि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1581/419 रकबा 05.13 बीघा भूमि आई हुई है जिसमे माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व आवेदन लम्बित है जिसमे मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने के आदेश जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 व हल्का पटवारी द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए समस्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा बेचान करने पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 01.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के साथ दुरभीसंधी कर नामान्तकरण संख्या 1401 दिनांक 21.09.2022 को भर कर स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 ने जानबूझ कर उक्त प्रकरण में स्थगन होने के बावजूद उक्त आदेश की अवज्ञा कर दी गई। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करने के कारण तीन माह का सिविल कारावास व जुर्माने के साथ दण्डित किया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 1401 दिनांक 21.09.2022 को शून्य घोषित करवाने का आदेश फरमाया जावें।

उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1581/419 रकबा

सहायक कलक्टर
(SDO),बाड़मेर

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
	राजस्व आवेदन संख्या 303/2022 अनवान **वीरूमाली बनाम उप पंजीयक तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण**
	05.13 बीघा भूमि में के सम्बन्ध में न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी भी अप्रार्थी संख्या 02 को नही है। अप्रार्थी संख्या 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित आवेदन विचाराधीन होने का तथ्य दिनांक 09.11.2022 को अवमानना आवेदन की प्रति प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ। आवेदन की उस प्रति के साथ में भी स्थगन आदेश की प्रति संलग्न नही होने से अप्रार्थी संख्या 02 को स्थगन आदेश के बारे में कोई जानकारी नही है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 03.08.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, अप्रार्थी संख्या 02 उक्त वाद अथवा आवेदन में पक्षकार नही है। अप्रार्थी संख्या 02 को तहसील कार्यालय बाडमेर से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना बाबत् कोई पत्र प्राप्त नही हुआ और न ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को लिखित अथवा मौखिक रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी उपलब्ध करवाई। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा खोला गया नामान्तकरण विधि विरूद्ध नही है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 05 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1581/419 रकबा 05.13 बीघा भूमि जो वर्तमान जमाबन्दी में 04.13 बीघा भूमि ही है। अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय किया तब अप्रार्थी संख्या 05 को यह ज्ञान नही था कि प्राथी के कोई राजस्व वाद अपने पिता व भाई के विरूद्ध पेश कर रखा है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय ने जारी कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 05 ने दिनांक 01.09.2022 को उक्त खसरे की भूमि में से 70/93 हिस्सा अर्थात 03.10 बीघा भूमि पंजीबद्ध बेचान से क्रय की गई जिसका नामान्तकरण पारित कर दिनांक 21.09.2022 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। प्रार्थी द्वारा
सहायक कलेक्टर (SDO),बाड़मेर	

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राजस्व आवेदन संख्या 303/2022 अनवान
वीरूमाली बनाम उप पंजीयक तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

किसी प्रकार की कोई लिखित में सूचना अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का एवं उप पंजीयक बाडमेर को नही दी थी, यदि प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश की प्रतियां पटवारी हल्का एवं तहसीलदार या उपपंजीयक महोदय को दी जाती तो राजस्व रेकर्ड में अवश्य अंकन किया जाता तथा प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिससे यह नामान्तकरण विधि विरूद्ध किया गया है, जो किसी भी दृष्टी से शून्य व अवैध है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद में 05.13 बीघा भूमि का उल्लेख किया है जबकि राजस्व रेकर्ड में 04.13 बीघा ही भूमि अंकित है तथा पैतृक सम्पति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में 1/3 हिस्सा है जिसके हिसाब से प्रार्थी के हिस्से में 01.11 बीघा भूमि बनती है तथा अप्रार्थी संख्या 05 को 03.10 बीघा भूमि का ही बेचान किया गया है। प्रार्थी के 1/3 हिस्सा की भूमि राजस्व रेकर्ड में शेष है। अप्रार्थी संख्या 05 सदभाविक क्रेता है तथा सदभाविक रूप से अप्रार्थीगण ने भूमि क्रय की थी जैस श्रीमान् ने नोटिस की प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 04.11.2022 को प्राप्त हुई उसी समय जो वास्तविक स्थिति थी वह अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.11.2022 को पत्र द्वारा श्रीमान् को अवगत करवा दी थी। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व हल्का पटवारी द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए समस्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा बेचान करने पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 01.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के साथ दुरभीसंधी कर नामान्तकरण संख्या 1401 दिनांक 21.09.2022 को भर कर स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 ने जानबूझ कर उक्त प्रकरण में स्थगन होने के बावजूद उक्त आदेश की पालना नही की गई। लिहाजा नामान्तकरण संख्या 1401 दिनांक 21.09.2022 को खारिज कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 303/2022 अनवान** **वीरूमाली बनाम उप पंजीयक तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण**
	जावें। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो की प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश की प्रति तामिल करवा दी गई थी तथा अप्रार्थी संख्या 05 सदभाविक क्रेता है तथा सदभाविक रूप से अप्रार्थीगण ने भूमि क्रय की थी। प्रकरण को बिना साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1581/419 रकबा 05.13 बीघा भूमि अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर उक्त प्रकरण में स्थगन होने के बावजूद उक्त व्यादेश की अवज्ञा कर नामान्तकरण संख्या 1401 दिनांक 21.09.2022 पारित किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल् दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुना गया। सहायक कलक्टर (SDO),बाड़मेर